

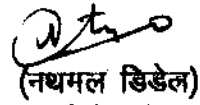
कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रारूप - 6 ::

श्री अजय प्रकाश गोस्वामी, व्याख्याता-अंग्रेजी, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मनिया धौलपुर जन्मतिथि 20.10.1982 का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 27.06.2017 को निधन हो चुका है। अतः श्री अजय प्रकाश गोस्वामी, व्याख्याता-अंग्रेजी, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मनिया धौलपुर की सेवाएँ दिनांक 27.06.2017 से समाप्त की जाती हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्व० श्री अजय प्रकाश गोस्वामी, के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।


(नथमल डिडेल)

निदेशक

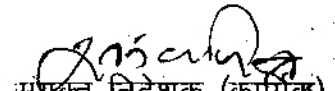
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/भा/संस्था/सी-1/सेवासमाप्ति/2016

गोतेलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है :-

दिनांक : 24/07/2017

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधी विभाग,
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर
4. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II) धौलपुर
6. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मनिया धौलपुर
7. संबंधित आश्रित द्वारा संस्था प्रधान, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मनिया धौलपुर ,
8. अनुभाग अधिकारी-वरिष्ठता/वि.जांच/एसीआर/एबी अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. अनुभाग अधिकारी संस्थापन सी-2 (ओएसी)
10. निजी/रक्षित पत्रावली

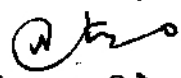

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

-::कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर:::-
-x-

कार्यालय-आदेश

श्री सुरेश कुमार सोनी, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक-
विद्यालय, महनपुर-बानसूर अलवर जिले की जन्मतिथि 17.07.1961 है
एवं राज्य सेवामें प्रथम नियुक्ति तिथि 30.12.1982 है ।

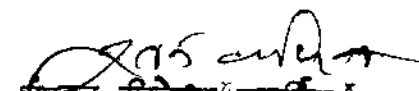
श्री सुरेश कुमार सोनी, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक-
विद्यालय, महनपुर-बानसूर अलवर द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम-
50(1) के प्रावधानानुसार 15 वर्ष की योग्य सेवा पूर्ण करने के उपरान्त
स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा नियम-50(1) के अन्तर्गत
दिनांक 01.08.2017 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है ।


अनंद मल डिंडेल
आईएसएस
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/ए-3/सुरेशकुमार/17/14 दिनांक: 24.7.17
प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, जयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-द्वितीय अलवर
4. प्रधानाध्यापक, रामावि, महनपुर-बानसूर अलवर
5. श्री सुरेश कुमार सोनी, प्र.अ. रामावि, महनपुर-बानसूर अलवर
6. निजी/रक्षित पत्रावली/प्रभार-बी-1


संयुक्त निदेशक कार्मिक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

--::कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर::--
-x-

कार्यालय आदेश

श्रीमती इन्दु बाला, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक-
विद्यालय, बालेटा-उमरेप अलवर जिनकी जन्मतिथि 16.10.1962
है एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 10.07.1984 है।

श्रीमती इन्दु बाला, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक-
विद्यालय, बालेटा-उमरेप अलवर द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम-
50(1) के प्रावधानानुसार 15 वर्ष की योग्य सेवा पूर्ण करने के उपरान्त
स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा नियम-50(1) के अन्तर्गत
दिनांक 02.08.2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

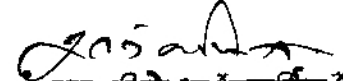

अनन्द कुमार डिंडेल
आईएसएस
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/ए-3/इन्दुबाला/17/14 दिनांक: 24.7.17

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, जयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-द्वितीय अलवर
4. प्रधानाचार्य, राउमावि, बालेटा-उमरेप अलवर
5. श्रीमती इन्दु बाला, प्रधानाचार्य, राउमावि, बालेटा-उमरेप अलवर
6. प्रभारी-बी-2/निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक कार्मिक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर